

**मध्यप्रदेश शासन**  
**लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 15/06/2026

क्रमांक 1119/PHME/0509//2026/17/मेडि-1:: राज्य शासन एतद् द्वारा तालिका 2 में उल्लेखित चिकित्सा अधिकारियों व दंत चिकित्सकों को स्वैच्छिक आधार पर तालिका 6 में उल्लेखित नवीन पदस्थापना स्थल पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :-

क्रमांक	नाम	पदनाम	एम्प्लॉई कोड	वर्तमान पदस्थापना संस्था/ जिला	नवीन पदस्थापना संस्था/ जिला
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	डॉ. स्नेहा उबनारे	चिकित्सा अधिकारी	290409383	प्राथ.स्वा.के. कुचवाड़ा, ब्लॉक उदयपुरा, जिला रायसेन	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुनगा जिला भोपाल
2	डॉ. दीपेश गुप्ता	चिकित्सा अधिकारी	300407198	प्राथ.स्वा.के. कालीपीठ, जिला राजगढ़	सिविल अस्पताल बडनगर जिला उज्जैन
3	डॉ. गौरव देराश्री	चिकित्सा अधिकारी	185720	सिविल अस्पताल भानपुर, जिला मंदसौर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमझेरा जिला धार
4	डॉ. राजेश अहिरवार	चिकित्सा अधिकारी	230409274	सामु.स्वा.के. नारायणगंज, जिला मण्डला	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आधारताल जिला जबलपुर
5	डॉ. ज्योति प्रभा सेंगर	चिकित्सा अधिकारी	40013059	सिविल अस्पताल लहार जिला भिण्ड	जिला चिकित्सालय भिण्ड
6	डॉ. श्रेयश ठाकुर	चिकित्सा अधिकारी	30412452	जिला चिकित्सालय बैतूल	सिविल अस्पताल बैरागढ़ जिला भोपाल
7	डॉ. भरत दुबे	चिकित्सा अधिकारी	230013853	जिला चिकित्सालय जबलपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माडोताल जिला जबलपुर
8	डॉ. अपूर्वा गोयल	चिकित्सा अधिकारी	40408455	प्राथ.स्वा.के. कतरौल, जिला भिण्ड	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खिमलासा जिला सागर

क्रमांक	नाम	पदनाम	एम्प्लॉई कोड	वर्तमान पदस्थापना संस्था/ जिला	नवीन पदस्थापना संस्था/ जिला
-1	-2	-3	-4	-5	-6
9	डॉ. लीबी अवास्या	चिकित्सा अधिकारी	190400209	सामु.स्वा.के. डही, जिला धार	उप संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक कार्यालय इंदौर संभाग इंदौर
10	डॉ. अनीता पाल	चिकित्सा अधिकारी	390014518	शहरी प्राथ.स्वा.के. मनियार, जिला शिवपुरी	सिविल अस्पताल लक्ष्मीगंज जिला ग्वालियर
11	डॉ. अमित जैन	चिकित्सा अधिकारी	120014570	जिला चिकित्सालय डिण्डौरी	सिविल अस्पताल शहपुरा जिला डिण्डौरी
12	डॉ. सरस्वती द्विवेदी	चिकित्सा अधिकारी	370400984	जिला चिकित्सालय सतना	जिला चिकित्सालय जबलपुर
13	डॉ. अंकित सिंह परिहार	चिकित्सा अधिकारी	350010236	आयुष्मान भारत निरामयम् भोपाल	सिविल अस्पताल बैरागढ जिला भोपाल
14	डॉ. शिल्पी जैन	चिकित्सा अधिकारी	181017220	सिविल डिस्पेंसरी कोतवाली जबलपुर	उप संचालक, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर
15	डॉ. महेश जाटव	चिकित्सा अधिकारी	130400163	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बदरवास, जिला शिवपुरी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुम्बराज जिला गुना
16	डॉ. नीतू सिंह राय	चिकित्सा अधिकारी	450013509	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महु जिला विदिशा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नटेरन, जिला विदिशा
17	डॉ. सुमित यादव	चिकित्सा अधिकारी	380400137	क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेरछा, जिला शाजापुर
18	डॉ. निशांत वर्मा	चिकित्सा अधिकारी	360400557	प्राथमिक सवास्थ्य केन्द्र चमारी, जिला सिवनी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मडोताल जिला जबलपुर
19	डॉ. पीयूष गुप्ता	चिकित्सा अधिकारी	290409216	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐन्तहार जिला भिण्ड	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सायर जिला विदिशा
20	डॉ. प्रियंका बड़जात्या	चिकित्सा अधिकारी	330035969	जिला चिकित्सालय सागर	उप संचालक क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें सागर कार्यालय
21	डॉ. हरेंद्र पाल सिंह सोढ़ी	चिकित्सा अधिकारी	52009845	सिविल डिस्पेंसरी आनंद नगर भोपाल	विधानसभा विश्राम ग्रह जिला भोपाल

क्रमांक	नाम	पदनाम	एम्प्लॉई कोड	वर्तमान पदस्थापना संस्था/ ज़िला	नवीन पदस्थापना संस्था/ ज़िला
-1	-2	-3	-4	-5	-6
22	डॉ. पायल पाटीदार	चिकित्सा अधिकारी	300407270	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र माचलपुर, जिला राजगढ़	सिविल अस्पताल नलखेडा, जिला आगर मालवा
23	डॉ. कुलदीप गोयल	चिकित्सा अधिकारी	220400277	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेगांव जिला खरगोन	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद जिला खरगोन
24	डॉ. सुनिता सिंह	चिकित्सा अधिकारी	280007805	जिला चिकित्सालय दतिया	जिला चिकित्सालय कटनी
25	डॉ. ज्योती ग्रेवाल	चिकित्सा अधिकारी	1101704005	सिविल अस्पताल सरदारपुर जिला धार	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमझेरा जिला धार
26	डॉ. मुकेश कुमार ठाकुर	चिकित्सा अधिकारी	210400728	पीएचसी गंधवा जिला खण्डवा	सिविल अस्पताल मनावर जिला धार
27	डॉ. दिपक निगवाल	चिकित्सा अधिकारी	30412591	पीएचसी भैंसदेही, जिला बैतूल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवनलिया जिला खरगोन
28	डॉ. मदन कुमार बरेठिया	चिकित्सा अधिकारी	330010074	पीएचसी शाहपुर जिला सागर	सीएचसी मकरोनियार जिला सागर
29	डॉ. प्रभुदयाल चौहान	चिकित्सा अधिकारी	20008466	जिला चिकित्सालय अलीराजपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेगांव जिला खरगोन
30	डॉ. श्रद्धा पिपलोदे	चिकित्सा अधिकारी	52401566	जिला चिकित्सालय भोपाल	जिला चिकित्सालय मंदसौर
31	डॉ. आशा बेहन देशमुख	चिकित्सा अधिकारी	25402196	सिविल डिस्पेंसरी सतपुड़ा भवन भोपाल	जिला चिकित्सालय झाबुआ
32	डॉ. राहुल दांगी	चिकित्सा अधिकारी	100407843	सिविल अस्पताल भैरुदा जिला सीहोर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्यामपुर जिला सीहोर
33	डॉ. अनामिका राय	चिकित्सा अधिकारी	340016290	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उचहेरा, जिला सतना	जिला चिकित्सालय सतना
34	डॉ. हर्षिता टटावत	चिकित्सा अधिकारी	510403357	सिविल अस्पताल सुसनेर, जिला आगर मालवा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नरवर, जिला उज्जैन
35	डॉ. सीताराम सोलंकी	चिकित्सा अधिकारी	20400953	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पानसेमल, जिला बड़वानी	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़वानी जिला बड़वानी
36	डॉ. भरत लाल शाक्य	चिकित्सा	300407643	सिविल अस्पताल इच	प्राथमिक स्वास्थ्य

क्रमांक	नाम	पदनाम	एम्प्लॉई कोड	वर्तमान पदस्थापना संस्था/ जिला	नवीन पदस्थापना संस्था/ जिला
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		अधिकारी		छावर, जिला सीहोर	केन्द्र माचलपुर, जिला राजगढ़
37	डॉ. कवि प्रकाश पाण्डेय	चिकित्सा अधिकारी	40408429	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहगांव, जिला भिण्ड	जिला चिकित्सालय भिण्ड
38	डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह	चिकित्सा अधिकारी	60408687	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामटोरिया, जिला छतरपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहगढ़ जिला सागर
39	डॉ. श्रद्धा हार्डिया	चिकित्सा अधिकारी	220407841	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बंगार्दा, जिला खरगोन	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पालिय, जिला इन्दौर
40	डॉ. राहुल कुमार अष्टवर्षु	चिकित्सा अधिकारी	180402311	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मझगांवा, जिला जबलपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़
41	डॉ. नेहा सोलंकी	चिकित्सा अधिकारी	490409726	सिविल अस्पताल जोबट, जिला अलीराजपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाकानेर, जिला धार
42	डॉ. विशाल शुक्ला	चिकित्सा अधिकारी	181017801	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, भोपाल	जिला चिकित्सालय दमोह
43	डॉ. प्रियांशी जैन	चिकित्सा अधिकारी	240401202	सामु.स्वा.के. धुंधड़का, जिला मंदसौर	जिला चिकित्सालय रतलाम
44	डॉ. राकेश पाटीदार	चिकित्सा अधिकारी	240009001	सिविल अस्पताल गरोठ, जिला मंदसौर	सिविल अस्पताल शामगढ़, जिला मंदसौर
45	डॉ. एस.के. गुप्ता	चिकित्सा अधिकारी	-	शासकीय परियोजना चिकित्सालय बाणसागर देवलौंद, जिला शहडोल (प्रतिनियुक्ति पर)	प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुये प्राथ.स्वा.के. बरेला, जिला जबलपुर
46	डॉ. राजेश कुमार पुष्पक	चिकित्सा अधिकारी	30006613	सामु.स्वा.के. बीनागंज, जिला गुना	प्राथ.स्वा.के. माचलपुर, जिला राजगढ़
47	डॉ. अमनप्रीत कोर	चिकित्सा अधिकारी	370015559	प्राथ.स्वा.के. टिहकी, ढाँक जयसिंहनगर, जिला शहडोल	जिला चिकित्सालय शहडोल
48	डॉ. सुजाता गेडाम	चिकित्सा अधिकारी	10012656	सिविल अस्पताल केवलारी, जिला सिवनी	सामु.स्वा.के. कटंगी, जिला बालाघाट
49	डॉ. गिरिबाला छिरौलिया	चिकित्सा अधिकारी	30412469	प्राथ.स्वा.के. पाढर, ढाँक लॉक घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल	प्राथ.स्वा.के. बैतूल बाजार, जिला बैतूल

क्रमांक	नाम	पदनाम	एम्प्लॉई कोड	वर्तमान पदस्थापना संस्था/ ज़िला	नवीन पदस्थापना संस्था/ ज़िला
-1	-2	-3	-4	-5	-6
50	डॉ. दीपक पाण्डेय	चिकित्सा अधिकारी	340411969	प्राथ.स्वा.के. अटरा, जिला सतना	जिला चिकित्सालय सतना
51	डॉ. संदीप शुक्ला	चिकित्सा अधिकारी	410407007	प्राथ.स्वा.के. मड़वास, जिला सीधी	प्राथ.स्वा.के. पुर्वा, जिला रीवा
52	डॉ. विवेक सिंह	चिकित्सा अधिकारी	370015128	प्राथ.स्वा.के. लफदा, ढ लॉक गोहपारू, जिला शहडोल	जिला चिकित्सालय शहडोल
53	डॉ. शोभा मोरे	चिकित्सा अधिकारी	240008686	सिविल अस्पताल गरोठ, जिला मंदसौर	प्राथ.स्वा.के. हामुखेड़ी, जिला उज्जैन
54	डॉ. दिव्यासाई उके	चिकित्सा अधिकारी	20409763	प्राथ.स्वा.के. बाबदड, ढ लॉक सेंधवा, जिला बड़वानी	सामु.स्वा.के. पीथमपुर, जिला धार
55	डॉ. अमित शाक्य	चिकित्सा अधिकारी	20008502	सामु.स्वा.के. राजपुर, जिला बड़वानी	सामु.स्वा.के. बरौठ, जिला देवास
56	डॉ. संजीव कुमरावत	चिकित्सा अधिकारी	430020695	प्रभारी उप संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक उज्जैन, संभाग उज्जैन	सिविल अस्पताल नागदा, जिला उज्जैन
57	डॉ. शरद शर्मा	चिकित्सा अधिकारी	420009393	सिविल अस्पताल सबलगढ़, जिला मुरैना	जिला चिकित्सालय मुरैना
58	डॉ. तरुनिमा पटेल	चिकित्सा अधिकारी	300401193	सिविल अस्पताल ढ यावरा, जिला राजगढ़	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नजीराबाद जिला भोपाल
59	डॉ. पल्लवी ठाकुर	चिकित्सा अधिकारी	180409130	प्राथ.स्वा.के. बघराजी, ब्लॉक कुण्डम, जिला जबलपुर	सिविल अस्पताल नयागांव, जिला जबलपुर
60	डॉ. अनिल कुमार ब्राह्मणे	चिकित्सा अधिकारी	230408971	जिला चिकित्सालय बड़वानी	सामु.स्वा.के. सिलावद जिला बड़वानी
61	डॉ. ज्योति तिवारी	चिकित्सा अधिकारी	340015728	सामु.स्वा.के. कोठी, जिला सतना	जिला चिकित्सालय सतना
62	डॉ. आस्था सोलंकी	चिकित्सा अधिकारी	30401427	सिविल अस्पताल आमला, जिला बैतूल	जिला चिकित्सालय सागर
63	डॉ. शैफाली	दंत चिकित्सक	320412895	सामु.स्वा.के. सिरमौर, जिला रीवा	जिला चिकित्सालय सीहोर
64	डॉ. मनीष कुमार अहिरवाल	दंत चिकित्सक	360409526	सिविल अस्पताल बरघाट, जिला सिवनी	सिविल अस्पताल पाटन, जिला जबलपुर
65	डॉ. शैलेन्द्र चंदेला	दंत चिकित्सक	430411188	सिविल अस्पताल माधवनगर, जिला उज्जैन	जिला चिकित्सालय मण्डला

क्रमांक	नाम	पदनाम	एम्प्लॉई कोड	वर्तमान पदस्थापना संस्था/ जिला	नवीन पदस्थापना संस्था/ जिला
-1	-2	-3	-4	-5	-6
				जैन	
66	डॉ. नेहा मेश्राम	दंत चिकित्सक	100407923	सिविल अस्पताल सोनकच्छ, जिला देवास	जिला चिकित्सालय इंदौर
67	डॉ. कुलदीप सिंह ठाकुर	दंत चिकित्सक	160408524	सामु.स्वा.के. पचमढी, जिला नर्मदापुरम्	सिविल अस्पताल इटारसी, जिला नर्मदापुरम्
68	डॉ. राकेश सकसेना	दंत चिकित्सक	450013324	जिला चिकित्सालय विदिशा	प्रभारी उप संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये भोपाल संभाग भोपाल
69	डॉ. केशव प्रसाद	दंत चिकित्सक	390408923	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीथमपुर जिला धार	जिला चिकित्सालय रतलाम
70	डॉ. नेहा ठाकुर	दंत चिकित्सक	390410225	जिला चिकित्सालय शिवपुरी	जिला चिकित्सालय ग्वालियर
71	डॉ. लोकेन्द्र सिंह	दंत चिकित्सक	4301704002	सिविल अस्पताल नागदा जिला उज्जैन	सिविल अस्पताल हजिरा जिला ग्वालियर
72	डॉ. अन्नू राय	दंत चिकित्सक	390408913	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नरवर जिला शिवपुरी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीथमपुर जिला धार
73	डॉ. अमी सिंह बघेल	दंत चिकित्सक	70411635	सिविल अस्पताल मैहर, जिला मैहर	सिविल अस्पताल बैदन जिला सिंगरौल
74	डॉ. निखिल मोरीवाल	दंत चिकित्सक	470404004	सामु.स्वा.के. राघोगढ़, जिला गुना	जिला चिकित्सालय गुना
75	डॉ. विभाष रतौनिया	दंत चिकित्सक	370405642	सिविल अस्पताल इछावर, जिला सीहोर	सामु.स्वा.के. बिलकिसगंज, जिला सीहोर

**यह स्थानांतरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगा-**

1. यह स्थानांतरण आदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा eHRMS पोर्टल के माध्यम से डिजिटली रूप से निर्गत किया गया है, जो विभागीय कार्यप्रणाली एवं शासन की ई-गवर्नेंस प्रणाली के अंतर्गत विधिसम्मत माना जाएगा। अतः संबंधित शासकीय सेवक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन कार्यमुक्ति (Relieving) एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यग्रहण (Joining) की प्रक्रिया पूर्ण करे। किसी अन्य माध्यम से की गई कार्यवाही अमान्य मानी जाएगी।
2. संबंधित कार्यालय प्रमुख एवं आहरण-संवितरण अधिकारी (DDO) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरित शासकीय सेवक की कार्यमुक्ति निर्धारित समयावधि में विधिवत संपन्न की जाए, तथा eHRMS पोर्टल पर उसकी सेवा पुस्तिका (Service Book) एवं अन्य वैधानिक प्रविष्टियाँ यथासमय अद्यतन की जाएं।

3. स्थानांतरित शासकीय सेवक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह स्थानांतरण आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 07 दिवस की अवधि में कार्यमुक्त होकर, नवीन पदस्थापना संस्था में विधिवत कार्यभार ग्रहण करे। कार्यग्रहण eHRMS पोर्टल पर लॉगइन के माध्यम से ही मान्य होगा।
4. कार्यमुक्ति की तिथि के पश्चात किसी भी स्थिति में मूल पदस्थापना से वेतन का आहरण वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आएगा। अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (Last Pay Certificate), सेवा पुस्तिका, अचल संपत्ति विवरण, एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को अनिवार्यतः नवीन पदस्थापना कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा। उक्त उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख एवं आहरण अधिकारी पर व्यक्तिगत रूप से लागू होगा।
5. स्थानांतरण की अवधि में (कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के मध्य काल में) लिया गया कोई भी अवकाश केवल सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अनुमोदन उपरांत ही स्वीकृत माना जाएगा। अन्यथा, इसे अनाधिकृत अनुपस्थिति के रूप में निरूपित किया जाएगा।
6. यदि कोई शासकीय सेवक स्थानांतरण आदेश का अनुपालन बिना युक्तिसंगत कारणों के नहीं करता है, या कार्यभार ग्रहण किए बिना अवकाश पर चला जाता है, या कोई झूठी सूचना देता है, तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 तथा अन्य सुसंगत सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
7. यदि कोई शासकीय सेवक निम्नलिखित स्थितियों में पाया जाता है, तो उसे किसी भी दशा में कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा:
  - संविदा पद पर कार्यरत है,
  - वर्तमान में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है,
  - न्यायालयीन प्रकरण (जैसे स्थगन आदेश / अवमानना आदि) के अधीन है,
  - या विभागीय आदेशानुसार निलंबित घोषित किया गया है।
 ऐसी स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त जानकारी स्पष्ट रूप से दस्तावेज सहित संलग्न कर तत्काल प्रभाव से राज्य स्तर की स्थापना शाखा एवं राज्य eHRMS प्रकोष्ठ को लिखित एवं email के माध्यम से प्रेषित की जाए।
8. स्थानांतरण आदेश की आधिकारिक वैधता एवं सत्यापन हेतु विभागीय पोर्टल <https://health.mp.gov.in> पर प्रदर्शित आदेश की प्रति को मान्य माना जाए।

Digitally signed by  
Seema Dehariya  
Date: 15-06-2026  
23:59:36

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(सीमा डहेरिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

दिनांक 15/06/2026

क्रमांक।।2-0/PHME/0509/2026/सत्रह/मेडि-1

प्रतिलिपि:

1. विशेष सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मप्र।
2. विशेष सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मप्र।
3. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मप्र।
4. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र.।

5. समस्त संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मप्र।
6. सम्बंधित क्षेत्रीय संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मप्र।
7. राज्य IT शाखा, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. सम्बंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मप्र।
9. सम्बंधित राज्य स्थापना शाखा विज्ञान/ अविज्ञान/ नर्सिंग/ परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मप्र।
10. सम्बंधित जिला कोषालय अधिकारी, मप्र।
11. सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी व दंत चिकित्सक ..... की ओर पालनार्थ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 15/06/2026

क्रमांक 1117/PHME/0509//2026/17/मेडि-1:: राज्य शासन एतद् द्वारा तालिका 2 में उल्लेखित विशेषज्ञों को स्वैच्छिक आधार पर तालिका 6 में उल्लेखित नवीन पदस्थापना स्थल पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :-

क्रमांक	नाम	पदनाम	एम्प्लॉई कोड	वर्तमान पदस्थापना संस्था/ जिला	नवीन पदस्थापना संस्था/ जिला
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	डॉ. सरफराज अहमद	निश्चेतना विशेषज्ञ	200007609	जिला चिकित्सालय उमरिया	जिला चिकित्सालय सतना
2	डॉ. अंकिता गोयल	नेत्ररोग विशेषज्ञ	290409206	जिला चिकित्सालय रायसेन	जिला चिकित्सालय भोपाल
3	डॉ. शिखा गुप्ता	शिशुरोग विशेषज्ञ	420405869	जिला चिकित्सालय दतिया	जिला चिकित्सालय दतिया
4	डॉ. नीलम धुर्वे	स्त्रीरोग विशेषज्ञ	470404216	जिला चिकित्सालय अशोकनगर	जिला चिकित्सालय भोपाल
5	डॉ. तेजस्विनी द्विवेदी	पेथोलॉजी विशेषज्ञ	20410557	सिविल अस्पताल सेंधवा, जिला बड़वानी	जिला चिकित्सालय सतना
6	डॉ. चेतन सिंह वर्मा	शिशुरोग विशेषज्ञ	220014412	सिविल अस्पताल महु, जिला इन्दौर	जिला चिकित्सालय इन्दौर
7	डॉ. राज चौधरी	स्त्रीरोग विशेषज्ञ	210406067	जिला चिकित्सालय खण्डवा	सिविल अस्पताल कुलकर्णी का भट्टा जिला इन्दौर
8	डॉ. संदीप ठाकुर	अस्थिरोग विशेषज्ञ	190013256	जिला चिकित्सालय झाबुआ	जिला चिकित्सालय इन्दौर
9	डॉ. अंजना सिंह ठाकुर	नेत्ररोग विशेषज्ञ	230013350	जिला चिकित्सालय रायसेन	जिला चिकित्सालय भोपाल
10	डॉ. दिनेश कुमार बरोडा	शिशुरोग विशेषज्ञ	280007201	जिला चिकित्सालय दतिया	जिला चिकित्सालय कटनी
11	डॉ. मनीष पंथ	पैथोलॉजी विशेषज्ञ	430410630	सिविल अस्पताल बड़नगर जिला उज्जैन	सिविल अस्पताल महु जिला इन्दौर
12	डॉ. सैंकी अग्रवाल	शिशुरोग विशेषज्ञ	280405907	जिला चिकित्सालय पन्ना	जिला चिकित्सालय दमोह
13	डॉ. रामाशीष शुक्ला	शिशुरोग विशेषज्ञ	-	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानपुर, जिला इन्दौर	सिविल अस्पताल पीथमपुर, जिला धार

क्रमांक	नाम	पदनाम	एम्प्लॉई कोड	वर्तमान पदस्थापना संस्था/ जिला	नवीन पदस्थापना संस्था/ जिला
-1	-2	-3	-4	-5	-6
14	डॉ. कैलाश खेरनार	नेत्ररोग विशेषज्ञ	480011733	जिला चिकित्सालय बुरहानपुर	जिला चिकित्सालय खण्डवा किया गया स्थानांतरण निरस्त कर यथावत जिला चिकित्सालय बुरहानपुर
15	डॉ. रूकमणी गुलहेरिया	स्त्रीरोग विशेषज्ञ	350007674	सिविल अस्पताल नसरुल्लागंज जिला सीहोर	सिविल अस्पताल गोविन्दपुरा, जिला भोपाल
16	डॉ. अंशुल नेमा	निश्चेतना विशेषज्ञ	330408660	सिविल अस्पताल बीना, जिला सागर	जिला चिकित्सालय सागर
17	डॉ. गरिमा वैष्णव	नेत्ररोग विशेषज्ञ	110018280	जिला चिकित्सालय धार	जिला चिकित्सालय इंदौर
18	डॉ. ईश्वर सिंह ठाकुर	अस्थिरोग विशेषज्ञ	120003558	सिविल अस्पताल सिहोर, जिला जबलपुर	सिविल अस्पताल पाटन, जिला जबलपुर
19	डॉ. नीरज कुमार छारी	शल्यक्रिया विशेषज्ञ	110014235	जिला चिकित्सालय भिण्ड	सीएच कनाडियां जिला इंदौर
20	डॉ. रामेश्वर परमार	शल्यक्रिया विशेषज्ञ	190011679	सामु.स्वा.के. राणापुर, जिला झाबुआ	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिरला, जिला धार

## 2/ उक्त स्थानांतरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगा-

- संबंधित कार्यालय प्रमुख एवं आहरण-संवितरण अधिकारी (DDO) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरित शासकीय सेवक की कार्यमुक्ति निर्धारित समयावधि में विधिवत संपन्न की जाए, तथा eHRMS पोर्टल पर उसकी सेवा पुस्तिका (Service Book) एवं अन्य वैधानिक प्रविष्टियाँ यथासमय अद्यतन की जाएं।
- स्थानांतरित शासकीय सेवक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह स्थानांतरण आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 07 दिवस की अवधि में कार्यमुक्त होकर, नवीन पदस्थापना संस्था में विधिवत कार्यभार ग्रहण करे। कार्यग्रहण eHRMS पोर्टल पर लॉगइन के माध्यम से ही मान्य होगा।
- कार्यमुक्ति की तिथि के पश्चात किसी भी स्थिति में मूल पदस्थापना से वेतन का आहरण वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आएगा। अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (Last Pay Certificate), सेवा पुस्तिका, अचल संपत्ति विवरण, एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को अनिवार्यतः नवीन पदस्थापना कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा। उक्त उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख एवं आहरण अधिकारी पर व्यक्तिगत रूप से लागू होगा।
- स्थानांतरण की अवधि में (कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के मध्यकाल में) लिया गया कोई भी अवकाश केवल सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अनुमोदन उपरांत ही स्वीकृत माना जाएगा। अन्यथा, इसे अनाधिकृत अनुपस्थिति के रूप में निरूपित किया जाएगा।

5. यदि कोई शासकीय सेवक स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन बिना युक्तिसंगत कारणों के नहीं करता है, या कार्यभार ग्रहण किए बिना अवकाश पर चला जाता है, या कोई झूठी सूचना देता है, तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 तथा अन्य सुसंगत सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
6. यदि कोई शासकीय सेवक निम्नलिखित स्थितियों में पाया जाता है, तो उसे किसी भी दशा में कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा:-

- संविदा पद पर कार्यरत है,
- वर्तमान में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है,
- न्यायालयीन प्रकरण (जैसे स्थगन आदेश / अवमानना आदि) के अधीन है,
- या विभागीय आदेशानुसार निलंबित घोषित किया गया है।

ऐसी स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त जानकारी स्पष्ट रूप से दस्तावेज सहित संलग्न कर तत्काल प्रभाव से राज्य स्तर की स्थापना शाखा एवं राज्य eHRMS प्रकोष्ठ को लिखित एवं email के माध्यम से प्रेषित की जाए।

7. स्थानान्तरण आदेश की आधिकारिक वैधता एवं सत्यापन हेतु विभागीय पोर्टल <https://health.mp.gov.in> पर प्रदर्शित आदेश की प्रति को मान्य माना जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

Digitally signed by

Seema Dehariya

Date: 15-06-2026

23:58:23

(सीमा डहरिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

९

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 15/06/2026

क्रमांक 1115/PHME/2533//2026/ मेडि-सत्रहः राज्य शासन एतद् द्वारा तालिका 2 में उल्लेखित चिकित्सकों को तालिका 6 में उल्लेखित नवीन पदस्थापना स्थल पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :-

क्र	नाम	पदनाम	एम्प्लॉई कोड	वर्तमान पदस्थापना संस्था/ ज़िला	नवीन पदस्थापना संस्था/ ज़िला
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	डॉ. पवन गौतम,	सर्जिकल विशेषज्ञ	14040626 4	सिविल चिकित्सा सालय डबरा	कार्यालय सिविल सर्जन, ग्वालियर
2	डॉ. राकेश बिहारी कुरेले	सर्जिकल विशेषज्ञ	24000312 7	कार्यालय सिविल सर्जन, ग्वालियर	सिविल चिकित्सा सालय डबरा

**2/ उक्त स्थानांतरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगा-**

- संबंधित कार्यालय प्रमुख एवं आहरण-संवितरण अधिकारी (DDO) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरित शासकीय सेवक की कार्यमुक्ति निर्धारित समयावधि में विधिवत संपन्न की जाए, तथा eHRMS पोर्टल पर उसकी सेवा पुस्तिका (Service Book) एवं अन्य वैधानिक प्रविष्टियाँ यथासमय अद्यतन की जाएं।
- स्थानांतरित शासकीय सेवक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह स्थानांतरण आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 07 दिवस की अवधि में कार्यमुक्त होकर, नवीन पदस्थापना संस्था में विधिवत कार्यभार ग्रहण करे। कार्यग्रहण eHRMS पोर्टल पर लॉगइन के माध्यम से ही मान्य होगा।
- कार्यमुक्ति की तिथि के पश्चात किसी भी स्थिति में मूल पदस्थापना से वेतन का आहरण वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आएगा। अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (Last Pay Certificate), सेवा पुस्तिका, अचल संपत्ति विवरण, एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को अनिवार्यतः नवीन पदस्थापना कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा। उक्त उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख एवं आहरण अधिकारी पर व्यक्तिगत रूप से लागू होगा।
- स्थानांतरण की अवधि में (कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के मध्यकाल में) लिया गया कोई भी अवकाश केवल सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अनुमोदन उपरांत ही स्वीकृत माना जाएगा। अन्यथा, इसे अनाधिकृत अनुपस्थिति के रूप में निरूपित किया जाएगा।
- यदि कोई शासकीय सेवक स्थानांतरण आदेश का अनुपालन बिना युक्तिसंगत कारणों के नहीं करता है, या कार्यभार ग्रहण किए बिना अवकाश पर चला जाता है, या कोई झूठी सूचना देता है, तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 तथा अन्य सुसंगत सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

6. यदि कोई शासकीय सेवक निम्नलिखित स्थितियों में पाया जाता है, तो उसे किसी भी दशा में कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा:-

- संविदा पद पर कार्यरत है,
- वर्तमान में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है,
- न्यायालयीन प्रकरण (जैसे स्थगन आदेश / अवमानना आदि) के अधीन है,
- या विभागीय आदेशानुसार निलंबित घोषित किया गया है।

ऐसी स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त जानकारी स्पष्ट रूप से दस्तावेज सहित संलग्न कर तत्काल प्रभाव से राज्य स्तर की स्थापना शाखा एवं राज्य eHRMS प्रकोष्ठ को लिखित एवं email के माध्यम से प्रेषित की जाए।

7. स्थानांतरण आदेश की आधिकारिक वैधता एवं सत्यापन हेतु विभागीय पोर्टल <https://health.mp.gov.in> पर प्रदर्शित आदेश की प्रति को मान्य माना जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

Digitally signed by  
Seema Dehariya  
Date: 15-06-2026  
22:54:11

तथा आदेशानुसार

(सीमा डहेरिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक 1116/PHME/2533//2026/ मेडि-सत्रह भोपाल, दिनांक 15/06/2026  
प्रतिलिपि:

1. विशेष सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री जी/ राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मप्र।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
3. समस्त संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, भोपाल।
4. सम्बंधित क्षेत्रीय संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मप्र।
5. राज्य eHRMS प्रकोष्ठ, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मप्र।
6. राज्य IT शाखा, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मप्र।
8. संबंधित राज्य स्थापना शाखा विज्ञान/ अविज्ञान/ नर्सिंग/ परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मप्र।
9. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, मप्र।
10. संबंधित विशेषज्ञ..... की ओर पालनार्थ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

**मध्यप्रदेश शासन**  
**लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग**  
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 15/06/2026

क्रमांक 112) /PHME/0509//2026/17/मेडि-1:: राज्य शासन एतद् द्वारा तालिका 2 में उल्लेखित प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी को प्रशासकीय आधार पर तालिका 6 में उल्लेखित नवीन पदस्थापना स्थल पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :-

क्रमांक	नाम	पदनाम	एम्प्लॉई कोड	वर्तमान पदस्थापना संस्था/ जिला	नवीन पदस्थापना संस्था/ जिला
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	डॉ. बबिता खरे, (स्त्रीरोग विशेषज्ञ)	प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीधी	4101704003	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला सीधी	सीएच ब्योहारी जिला शहडोल, (प्रशासकीय)
2	डॉ. संधु आर्य	चिकित्सा अधिकारी	100400259	सिविल अस्पताल आष्टा	जिला चिकित्सालय हरदा (प्रशासकीय)
3	डॉ. अरूण विश्वास	चिकित्सा अधिकारी	290010136	सिविल अस्पताल आष्टा जिला सीहोर	जिला चिकित्सालय पन्ना (प्रशासकीय)

**उक्त स्थानांतरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगा-**

- संबंधित कार्यालय प्रमुख एवं आहरण-संवितरण अधिकारी (DDO) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरित शासकीय सेवक की कार्यमुक्ति निर्धारित समयावधि में विधिवत संपन्न की जाए, तथा eHRMS पोर्टल पर उसकी सेवा पुस्तिका (Service Book) एवं अन्य वैधानिक प्रविष्टियाँ यथासमय अद्यतन की जाएं।
- स्थानांतरित शासकीय सेवक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह स्थानांतरण आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 07 दिवस की अवधि में कार्यमुक्त होकर, नवीन पदस्थापना संस्था में विधिवत कार्यभार ग्रहण करे। कार्यग्रहण eHRMS पोर्टल पर लॉगइन के माध्यम से ही मान्य होगा।
- कार्यमुक्ति की तिथि के पश्चात किसी भी स्थिति में मूल पदस्थापना से वेतन का आहरण वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आएगा। अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (Last Pay Certificate), सेवा पुस्तिका, अचल संपत्ति विवरण, एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को अनिवार्यतः नवीन पदस्थापना कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा। उक्त उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख एवं आहरण अधिकारी पर व्यक्तिगत रूप से लागू होगा।
- स्थानांतरण की अवधि में (कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के मध्य काल में) लिया गया कोई भी अवकाश केवल सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अनुमोदन उपरांत ही स्वीकृत माना जाएगा। अन्यथा, इसे अनाधिकृत अनुपस्थिति के रूप में निरूपित किया जाएगा।
- यदि कोई शासकीय सेवक स्थानांतरण आदेश का अनुपालन बिना युक्तिसंगत कारणों के नहीं करता है, या कार्यभार ग्रहण किए बिना अवकाश पर चला जाता है, या कोई झूठी सूचना देता है, तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 तथा अन्य सुसंगत सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

6. यदि कोई शासकीय सेवक निम्नलिखित स्थितियों में पाया जाता है, तो उसे किसी भी दशा में कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा:

- संविदा पद पर कार्यरत है,
- वर्तमान में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है,
- न्यायालयीन प्रकरण (जैसे स्थगन आदेश / अवमानना आदि) के अधीन है,
- या विभागीय आदेशानुसार निलंबित घोषित किया गया है।

ऐसी स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त जानकारी स्पष्ट रूप से दस्तावेज़ सहित संलग्न कर तत्काल प्रभाव से राज्य स्तर की स्थापना शाखा एवं राज्य eHRMS प्रकोष्ठ को लिखित एवं email के माध्यम से प्रेषित की जाए।

7. स्थानांतरण आदेश की आधिकारिक वैधता एवं सत्यापन हेतु विभागीय पोर्टल <https://health.mp.gov.in> पर प्रदर्शित आदेश की प्रति को मान्य माना जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

Digitally signed by

Seema Dehariya

Date: 15-06-2026

23:57:24

(सीमा डहेरिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक | 22/PHME/0509//2026/17/मैडि-1

भोपाल, दिनांक 15/06/2026

प्रतिलिपि:

1. विशेष सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मप्र।
2. विशेष सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मप्र।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मप्र।
4. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.।
5. समस्त संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मप्र।
6. सम्बंधित क्षेत्रीय संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मप्र।
7. राज्य IT शाखा, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. सम्बंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मप्र।
9. सम्बंधित राज्य स्थापना शाखा विज्ञान, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मप्र।
10. सम्बंधित जिला कोषालय अधिकारी, मप्र।
11. सम्बंधित प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी..... की ओर पालनार्थ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग